प्रकाशन हेतु अनुमोदित

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
रिट याचिका सख्या 2472/1994

याचिकाकर्ताः– सोहन सिंह पिता इंदरसिंह
उम्र लगभग 52 वर्ष पूर्व
चार्जमैन क्वार्टर नं.2–बी
सेक्टर नं.6, भिलाई जिला
दुर्ग, (म.प्र.)

बनाम

उत्तरदाताः–

1. द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एलटीडी., भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई, द्वारा प्रबंध निदेशक, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई, जिला दुर्ग,(म.प्र).

2. अधीक्षक सी. र. & आर कोकओवन & बी.पी.पी. भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई जिला दुर्ग, (म.प्र) ।

3. पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय दुर्ग, उतई रोड दुर्ग, जिला दुर्ग, (म.प्र.)।

4. प्रदेश औद्योगिक न्यायलय द्वारा सदस्य (रायपुर खण्ड पीठ) कृष्णा सदन 16 एच.1.जी. शंकर नगर रायपुर, जिला रायपुर (म.प्र.)।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय, बिलासपुर
रिट याचिका संख्या 2472/1994

सोहन सिंह
–बनाम–
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य

सितम्बर, 2005 को आदेश हेतु सूचीबद्ध करें ।

सही/–
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय, बिलासपूर

रिट याचिका संख्या 2472/1994
सोहन सिंह
–बनाम–
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य

श्री एच. बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सुश्री संगीता मिश्रा, याचिकाकर्ता की अधिवक्ता ।
श्री. पी. दिवाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा श्री महेश शर्मा, उत्तरवादी संख्या 1 और 2 के अधिवक्ता ।

आदेश
(16 सितम्बर 2005)

जस्टिस सतीश के. अग्निहोत्री द्वारा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर वर्तमान याचिका औद्योगिक न्यायालय, रायपुर पीठ द्वारा अपील क्रमांक 182/एम.पी. आई. आर. एक्ट/93 में परित आदेश दिनांक 7.3.1994 (अनुलग्न पी/25) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. न्यायनिर्णयन के लिए प्रासंगिक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को वर्ष 1959 में कोक ओवन एवं उप–उत्पाद विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, जिला दुर्ग में फिटर के पद पर नियुक्त किया गया था । याचिकाकर्ता की जन्मतिथि उसकी घोषणा के आधार पर सेवा अभिलेख में '10.1.1932' दर्ज की गई थी । प्रदर्श डी/10 में, जो चार्जमैन के पद के लिए पदोन्नति सूची (वरिष्ठता सूची) है, जिसमें 1.9.1970 से संशोधित वेतनमान का उल्लेख है, याचिकाकर्ता को क्रमांक 6 पर रखा गया है और इस दस्तावेज में उसकी जन्मतिथि '10.1.32' बताई गई है । इसी तरह प्रदर्श डी/9 [जो एल.ओ.पी. (पदोन्नति की पंक्ति)

केपिटल रिपयेर समूह में वरिष्ठता (सं. एस(एम एंड आर)/स्था/सेन/74/(सी आर)/1636 दिनांक 27.2.74 द्वारा प्रकाशित है] में याचिकाकर्ता के नाम को चार्जमैन के सवंर्ग में क्रमांक 1 पर रखा गया है और इस दस्तावेज में उसकी जन्मतिथि '10/1/32' अंकित है और इसके बाद सेवा अभिलेख के आधार पर इसे 10.1.1932 के रूप में दर्ज किया जाता रहा । याचिकाकर्ता के अनुसार प्रदर्श पी/1, जो कि भविष्य निधि में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र है, जिसे भिलाई इस्पात संयंत्र के भविष्य निधि न्यासी मंडल के अध्यक्ष के कार्यालय में जमा करने के लिए 4.3.1983 को भरा गया था, उसमें याचिकाकर्ता द्वारा उसकी जन्मतिथि '13.1.1942' अंकित की गई थी और इसे उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 के सहायक प्रबंधक (कार्मिक) द्वारा स्वीकार किया गया था । याचिकाकर्ता द्वारा 5.3.1983 को दिए गए घोषणा और नामांकन फॉर्म (प्रदर्श पी/2) में भी याचिकाकर्ता की जन्मतिथि '13.1.194' अंकित थी । याचिकाकर्ता ने 24.4.1989 को मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) पंजाब से पंजाबी भाषा में जन्म प्रमाण पत्र की एक प्रति प्राप्त की, जिसमें याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 23.1.1942 दर्ज की गई थी । इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 30.11.1992 को निगम, अमृतसर के कार्यालय से जन्म तिथि प्रमाण पत्र का अंग्रजी संस्करण प्राप्त किया, जिसमें याचिकाकर्ता की जन्म तिथि '18.1.1942' दर्ज की गई थी । इस दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि पंजीकरण की तारीख '23 जनवरी, 1942' थी और पंजीकरण संख्या '678' थी ।

3. याचिकाकर्ता को दिनांक 8.9.1989 (अनुलग्नक पी/10) का नोटिस मिला था, जिसके द्वारा उसे सुचित किया गया था कि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता 31.1.1990 को सेवानिवृत्ति हो जाएगा । इस नोटिस से पहले, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी संख्या 1 और 2 को अपनी जन्मतिथि को '10.1.1932' के स्थान पर '13.1.1942' के रूप में सही करने के लिए 20.3.1989 (अनुलग्नक पी/5), 10.5.1989 (अनुलग्नक पी/2), 24.7.1989 (अनुलग्नक पी/4) को अभ्यावेदन प्रस्तुत करके अपनी शिकायत दर्ज कराई थी ।

4.अपनी जन्मतिथि 13.1.1942 में सुधार न किए जाने से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने धारा 31 (3) के तहत आवेदन दायर किया । मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (इसके बाद 'अधिनियम, 1960) की धारा 61 और 64-ए के साथ श्रम न्यायलय, दुर्ग के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें एक अनुतोष के लिए प्रार्थना की गई की उनकी जन्मतिथि को 13.1.1942 के रूप में ठीक किया जाये और उत्तरवादियों को उनकी जन्मतिथि यानी 13.1.1942 के आधार पर तदनुसार उन्हें सेवानिवृत्त करने का निर्देश दिया जाए । श्रम न्यायालय, दुर्ग ने उस तथ्य से प्रतिकूल निष्कर्ष निकालते हुए कि मूल सेवा पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की जा सकी और प्रबंधन ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और भविष्य निधि फॉर्म और घोषणा फॉर्म में प्रविष्टि पर भरोसा करते हुए, और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र पर भी भरोसा करते हुए, जिसमें पंजाबी भाषा में जारी प्रमाण पत्र और अंग्रेजी भाषा में जारी प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथियों में विरोधाभास था, श्रम न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 172/एम.पी.आई.आर./89 में पारित आदेश दिनांक 20.5.1993 के द्वारा याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 13.1.1942

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

घोषित की और उत्तरवादियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता की जन्म तिथि '13.1.1942' के आधार पर उसे 58 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद सेवानिवृत्त कर दें ।

5.श्रम न्यायायल, दुर्ग द्वारा पारित दिनांक 20.5.1993 के आदेश से व्यथित होकर उत्तरवादियों ने औद्योगिक न्यायालय, रायपुर के समक्ष अधिनियम, 1960 की धारा 65 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की । औद्योगिक न्यायालय ने अपील क्रमांक 182/एम.पी.आई.एक्ट/93 में पारित दिनांक 7.3.1994 के आदेश के तहत समस्त दस्वावेजों पर विचार करने के पश्चात यह निष्कर्ष किया कि फरवरी, 1974 की वरिष्ठता सूची में स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 10.1.1932 अंकित है । निस्संदेह, वरिष्ठता सूची में जन्मतिथि दर्ज करना सेवा पुस्तिका में नियुक्ति के समय दर्ज जन्मतिथि के आधार पर था । यह पाया गया कि कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि नियुक्ति के समय तैयार की गई सेवा पुस्तिका, सत्यापन प्रपत्र और अन्य दस्तावेज पुराने दस्तावेज होने के कारण प्रस्तुत नहीं किए जा सके ।यद्यपि औद्योगिक न्यायालय, ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा 13.1.1942 के रूप में अपनी जन्मतिथि दर्ज/उल्लेख करने वाले भविष्य निधि फॉर्म, घोषणा और नामांकन फॉर्म आदि जैसे बाद के दस्तावेजों पर जन्म तिथि निर्धारित करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है । याचिकाकर्ता द्वारा पंजाबी भाषा और अंग्रजी भाषा में प्राप्त किए गए जन्म और तिथि प्रमाण पत्र में जन्म की परस्पर विरोधाभासी तिथियां हैं । पंजाबी में जन्म तिथि 23.1.1942 दर्ज की गई थी और पिता का नाम दिल शेर सिंह था, उक्त प्रामाण पत्र में जन्म कोई स्थान दर्ज

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नहीं किया गया था । बाद के जन्म तिथि प्रमाण पत्र में याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 18 जनवरी, 1942 और पिता का नाम शेर सिंह बताया गया है । औद्योगिक न्यायालय ने उक्त दस्तावजों पर भी विचार किया । औद्योगिक न्यायालय ने सभी दस्तावेजों और पक्षों के गवाहों के कथनों पर विचार करने और उनकी विवेचना करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 10.1.1932 थी औद्योगिक न्यायालय ने उपरोक्त कारणों को दर्ज करने के बाद दिनांक 7.3.1994 के आदेश द्वारा उत्तरवादियों द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और श्रम न्यायलय, दुर्ग द्वारा पारित दिनांक 20.5.1993 के अधिनिर्णय को अपास्त कर दिया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तओं को सुना है और अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया है । इस न्यायलय के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपनी पर्यवेक्षी शक्तियों के प्रयोग में सीमित अधिकार क्षेत्र है । उच्च न्यायालय केवल गलत उपधारणा निकाले जाने या अधिकार क्षेत्र से बाहर होने, अधिकारिता का प्रयोग करने से इंकार करने, अभिलेख पर स्पष्ट रूप से दर्शित विधिक त्रुटि, प्राधिकारी की शक्तियों का मनमाना या स्वेच्छाचारी प्रयोग या भेदभाव, प्रक्रिया में गंभीर त्रुटि और अनुचित निष्कर्षों के अभिलेख के मामले में ही हस्तक्षेप कर सकता है। वर्तमान मामले में मुझे नहीं लगा कि इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करने के लिए ऊपर बताये गए किसी भी आधार का अवलंब लिया गया है ।

7. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.बी. अग्रवाल तथा विद्वान अधिवक्ता सुश्री संगीता मिश्रा ने कहा । कि श्रम न्यायालय का

आदेश पूर्ण रूप से वैध और संधारणीय है । सेवा पुस्तिका और सत्यापन प्रपत्रों के अभाव में उत्तरवादी यह साबित करने में असमर्थ रहे कि याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 10.1.1932 थी न कि 13.1.1942 । याचिकाकर्ता ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही न करके अभिलेखों के गायब होने को गंभीरता से नहीं लिया है । औद्योगिक न्यायालय ने केवल वरिष्ठता सूची के आधार पर निष्कर्ष दर्ज किए थे तथा याचिकाकर्ता द्वारा भरे गए तथा प्रबंधक द्वारा स्वीकार किए गए भविष्य निधि प्रपत्र और नामांकन प्रपत्र को पूरी तरह से नजरअंदान कर दिया था । पंजाबी और अंग्रजी में जन्मतिथि के प्रमाणपत्रों में विरोधाभास नगण्य हैं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8.श्री पी. दिवाकर, श्री महेश शर्मा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इसके विपरीत दलील दी कि औद्योगिक न्यायालय ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया है और यह वैध और कानूनी है । उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि इस न्यायालय के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत सीमित अधिकार क्षेत्र है । विद्वान अधिवक्ता ने सचिव एवं आयुक्त, गृह विभाग एवं अन्य बनाम आर. कृबकरण, 1994 सप (1) एस.सी.सी. 155 में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से निर्णय दिया थाः

“7.जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन को न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा केवल संबंधित लोक सेवक को ध्यान में रखते हुए नहीं निपटाया जाना चाहिए । यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि संबंधित लोक सेवक की जन्मतिथि में सुधार के लिए ऐसे किसी भी निर्देश की एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया

होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में उसके नीचे वर्षो से अपनी–अपनी पदोन्नति के लिए प्रतीक्षा कर रहे अन्य लोग प्रभावित होते हैं । कुछ लोगों को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है, क्योंकि जन्मतिथि में सुधार के कारण संबंधि अधिकारी, कुछ मामलों में वर्षो तक पद पर बना रहता है, जिस दौरन वरिष्ठता में उससे नीचे के कई अधिकारी अपनी पदोन्नति के लिए प्रतीक्षा करते हैं, हमेशा के लिए अपनी पदोन्नति खो सकते हैं । ऐसे मामले अज्ञात नहीं हैं जब कोई व्यक्ति अपने तत्काल वरिष्ठ कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख को देख कर ही अपनी नियुक्ति स्वीकार करता है । हमारे अनुसार, यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी लोक सेवक की जन्मतिथि में सुधार के संबंध में शिकायत की जांच करते समय अनदेखा नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार, जब तक कि उत्तरवादी द्वारा ऐसे साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट मामला नहीं बनाया जाता है जिसे प्रकृति में निर्णायक माना जा सके है, न्यायालय या न्यायाधिकरण को ऐसे साक्ष्यों के आधार पर निर्देश जारी नहीं करना चाहिए जो ऐसे दावे को केवल सत्य प्रतीत होने वाला बनाती है.........”

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. पुलिस आयुक्त, बॉम्बे एवं अन्य बनाम भगवान वी. लहाणे, [(1997) 1 एस.सी.सी. 247] के मामले में, जिस पर उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया था, सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि जन्म तिथि के आधार पर सेवा पुस्तिका में की गई प्रविष्टि अंतिम होती है, जब तक कि कर्मचारी द्वारा यह साबित नहीं कर दिया जाता कि उक्त प्रविष्टि किसी अन्य व्यक्ति की ओर से लापरवाही के कारण की गई थी या यह स्पष्ट लिपिकीय त्रुटि थी ।

10. जी.एम. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, पश्चिम बंगाल शिब कुमार दुशाद एवं

अन्य (2000) 8 एस.सी.सी. 696 के मामले में, जिसका अवलंब उत्तरवादियों के विद्वान वकील ने लिया था, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया थाः–

"17. किसी कर्मचारी की जन्मतिथि न केवल कर्मचारी के लिए बल्कि नियोक्ता के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। कर्मचारी द्वारा की गई सेवा की अवधि पर निर्भर करता है कि उसे कितने सेवानिवृति लाभ मिलेंगे। इसलिए, ऐसे मामलों में विवाद का निराकरण करते समय न्यायालयों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सेवा में आने के बहुत समय बाद जन्मतिथि में परिवर्तन, विशेष रूप से जब कर्मचारी को शीघ्र ही सेवानिवृत्त होना है, तो प्रशासन के दौरान बनाए गए सेवा अभिलेखों में दर्ज तिथि को सामान्य रूप से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मामले में कर्मचारी पर भारी बोझ होता है जो नियोक्ता द्वारा बनाए गए सेवा अभिलेख में दर्ज जन्मतिथि के असत्य और गलत होने का मामला लेकर न्यायालय में आता है। इस बोझ को केवल निर्णायक प्रकृति के स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत करके ही पूरा किया जा सकता है। हम यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि हम पाते हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं, सेवा अभिलेख में दर्ज जन्मतिथि की सत्यता के बारे में विवाद उठाते हैं और न्यायालय इस पर विचार करने के लिए इच्छुक होते हैं। सेवा अभिलेख में जन्म तिथि की प्रविष्टि के आधार पर ऐसे कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से परे जारी रखने के लिए अंतरिम आदेश पारित करें। ऐसी स्थिति की प्रशंसा नहीं की जा सकती क्योंकि इस तरह के अंतरिम आदेश को पारित करने में न्यायालय सेवा अभिलेख में दर्ज जन्म तिथि की शुद्धता के बारे में विवाद्यक का निर्धारण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करने से पहले ही कर्मचारी को राहत प्रदान करता है । इस तरह के अंतरिम आदेश विभिन्न जटिलताएँ पैदा करते है । प्रत्याशित रिक्ति जिसके लिए पंक्ति में अगला कर्मचारी इंतजार कर रहा था, वह साकार नहीं होती है, जिसके कारण कनिष्ठ को पदोन्नति से वंचित किया जाता है, जिसके बारे में उसे हमेशा से यह विश्वास दिलाया गया था कि वरिष्ठ की सेवानिवृत्ति पर उसे पदोन्नति मिल जाएगी ।"

10. हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बनाम एस.एम. जाधव एवं अन्य [(2001) 4 एस.सी.सी. 52] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कर्मचारी को अपने करियर के अंतिम चरण में जन्मतिथि के संबंध में विवाद उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. यह कानुन की स्थापित स्थिति है कि कर्मचारी को अपने करियर के अंतिम चरण में जन्मतिथि में सुधार के लिए विवाद उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, भिलाई स्टील प्लांट द्वारा जारी परिपत्र संख्या 87 दिनांक 2 अगस्त, 1974 के खंड–5 में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि यदि कर्मचारी की सेवा के पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी कारण से जन्मतिथि में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध प्राप्त होता है, तो उसे अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

12. याचिकाकार्ता 31.1.1990 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था, अर्थात उसकी जन्म तिथि 10.1.1932 के अनुसार 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर । याचिकाकर्ता ने अपने करियर के अंतिम समय में यह जानते हुए विवाद उठाया है कि 1970, 1974 और उसके बाद प्रकाशित सभी

वरिष्ठता सूचियों में याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 10.1.1932 दर्शाई गई थी । बाद में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर विचार नही किया जा सकता । याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किए गए कुछ दस्तावेज जैसे भविष्य निधि फॉर्म, नामांकन फॉर्म, और याचिकाकर्ता द्वारा पंजाबी के साथ–साथ अंग्रेजी में प्रस्तुत जन्मतिथि के प्रमाण पत्र परस्पर विरोधाभासी हैं, ऐसे में, मुझे औद्योगिक न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्षों में कोई ऐसी विकृति नहीं दिखती जिसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो।

13. उपर्युक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि जब तक उन तथ्यों के आधार पर स्पष्ट मामला नहीं बन जाता है, जिन्हें प्रकृति में निर्णायक माना जाता है, न्यायालय या न्यायाधिकरण को जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए निर्देश जारी नहीं करना चाहिए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त कारणों से, याचिका खारिज की जाती है और औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 7.3.1994 के आदेश को यथावत रखा जाता है । वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं ।

सही/–
संजय के.अग्रवाल
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो उपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रजी स्वरूपर ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी ।

Translated By– सृष्टि साहू